

## **प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026 जनपद प्रतापगढ़**

**प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026**

**जनपद प्रतापगढ़**

थाना कोतवाली नगर के 02 अभियोगों से संबंधित 370.377 किग्रा अवैध गांजा तथा थाना देल्हूपुर के 01 अभियोग से संबंधित 49.952 किग्रा अवैध गांजा, कुल 420.329 किग्रा (अनुमानित कीमत लगभग ₹2,10,16,430/-) को इन्सीनेरेटर द्वारा नष्ट कराया गया

जनपद प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन दहन” के अंतर्गत आज दिनांक 23.04.2026 को एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न अभियोगों से संबंधित जप्त मादक पदार्थों का विधिवत निस्तारण कराया गया। इस क्रम में थाना कोतवाली नगर के 02 अभियोगों से संबंधित 370.377 किग्रा अवैध गांजा तथा थाना देल्हूपुर के 01 अभियोग से संबंधित 49.952 किग्रा अवैध गांजा, कुल 420.329 किग्रा (अनुमानित कीमत लगभग ₹2,10,16,430/-) को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अधिकृत संस्था एम/एस रायल पॉल्युशन कंट्रोल सर्विसेज, सुल्तानपुर के माध्यम से इन्सीनेरेटर द्वारा नष्ट किया गया।

उक्त कार्यवाही समस्त वैधानिक प्रावधानों, भारत सरकार की अधिसूचना एवं मा० सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराई गई।

कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय, क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी सहित नारकोटिक्स सेल एवं संबंधित थानों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।

**प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026**

**थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़**

थाना संग्रामगढ़ व स्पेशल टीम, सर्विलांस टीम पुलिस द्वारा 10000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त अशोक यादव को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नरई चौराहा के पास लालगंज रोड से गिरफ्तार किया गया।

ईनामिया अभियुक्त अशोक यादव पर जनपद प्रतापगढ़ में गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित गंभीर अपराध पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ०नि० उमाशंकर सिंह मय हमराह का० विजय चौहान, का० मन्न यादव व का विक्रम सिंह, का० कुलदीप यादव, म०का० पूजा यादव मय चालक का रामनिवास व स्पेशल टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह, उ०नि० बृजेन्द्र सिंह, हे०का० महेश कुमार सिंह, का० राकेश कुमार सरोज, का० सुनील यादव, का० वीरेन्द्र यादव, का० बृजेश कुमार सिंह, का० मुकेश पटेल व का० संजय सिंह सर्विलांस सेल मय का० चालक हे०का० कमलेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 28/2026 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ से संबंधित 10000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त अशोक यादव पुत्र गोविन्द प्रसाद यादव नि० नेवानी नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नरई चौराहा के पास लालगंज रोड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

ईनामिया गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अशोक यादव पुत्र गोविन्द प्रसाद यादव नि० नेवानी नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष ।

01- अभियुक्त अशोक यादव पुत्र गोविन्द प्रसाद यादव नि० नेवानी नरई थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 243/24 धारा 191 (2)/115(2)/352/109 (1) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु०अ०सं० 244/24 धारा 61(2)/217/231/308 (6) बीएनएस थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु०अ०सं० 245/24 धारा 61(2) 1190/191 1) 191 (2) /132/221/285/352/353 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

04. मु०अ०सं० 28/2026 धारा 2/3 यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० उमाशंकर सिंह मय हमराह का० विजय चौहान, का० मन्नु यादव व का० विक्रम सिंह, का० कुलदीप यादव, म०का० पूजा यादव मय चालक का रामनिवास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

स्पेशल टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह, उ०नि० बृजेन्द्र सिंह, हे०का० महेश कुमार सिंह, का० राकेश कुमार सरोज, का० सुनील यादव, का० वीरेन्द्र यादव, का० बृजेश कुमार सिंह, का० मुकेश पटेल व का० संजय सिंह सर्विलांस सेल मय का० चालक हे०का० कमलेश कुमार।

**प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026**

**थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़**

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमले व फायरिंग की घटना से संबंधित 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अवैध तमंचा-कारतूस व अवैध बम बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा जानलेवा हमले व फायरिंग की घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों, कामरान व अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 01 अदद तमंचादेशी 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर व 04 अदद देशी बम बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 22.04.2026 को त्रिपाठी टी स्टाल, आलापुर पर वादी निवासी बरियावां चाय पीने गया था, जहां नामजद अभियुक्तगण द्वारा उस पर जानलेवा हमला कर मारपीट की गई। वादी के भागने का प्रयास करने पर एक अभियुक्त द्वारा अवैध पिस्टल से 2-3 फायर किए गए, जिससे वादी किसी तरह बच निकला। घटना के दौरान आसपास लोगों के एकत्र होने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए वाहन से फरार हो गए। इस संबंध में थाना नवाबगंज में मु०अ०सं० 49/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस बनाम 05 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अमर नाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज के उ०नि० मिथलेश कुमार मय हमराह उ०नि० शिशिर पटेल, उ०नि० मिथलेश कुमार मय हमराह उ०नि० रामलाल राम, चालक हे०का० रामजन्म, का० सुमित

कुमार, का0 तेजप्रकाश, का0 तेजप्रकाश, का0 नीरज यादव व होगा0 रामचन्द्र द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 49/2026 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/351(3) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. कामरान पुत्र मो० इरशाद निवासी ग्राम सुल्तानपुरा मुहल्ला थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, 02. अभिषेक यादव उर्फ मोनू पुत्र रामनरेश यादव निवासी रहमत अली का पुरवा बजहाभीट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद तमंचादेशी 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर व 04 अदद देशी बम के साथ थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत रेवली से मानिकपुर रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद तमंचादेशी 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर व 04 अदद देशी बम बरामद किया गया। जिसके संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि कल इसी तमंचे से मैंने आलापुर त्रिपाठी टी स्टाल के पास वादी के ऊपर अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नियत से फायर किया था एवं त्रिपाठी टी स्टाल पर हुए झगडे के बाद भीड़ इकट्ठा होने लगी तो हम लोग वहाँ से भाग गये थे। हम लोग एक दिन पूर्व से ही तैयारी करके मौके पर गये थे। तथा हम लोग तमंचा कारतूस व बम ले गये थे। किन्तु अचानक भीड़- भाड एकत्र होने के कारण बम को चला नहीं पाये और साथ मे लेकर भागते समय मैंने कालाकांकर से पीरानगर जाने वाले खडजे की पुलिया के बगल झाड़ियों में 02 सुतली बम छिपाकर रख दिये है। तथा वही से कुछ दूर कामरानने भी अपने 02अदद बम रख दिये थे। यदि आपचाहे तो मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ। अभियुक्तों निशानदेही में बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-**

01. कामरान पुत्र मो० इरशाद निवासी ग्राम सुल्तानपुरा मुहल्ला थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।  
02. अभिषेक यादव उर्फ मोनू पुत्र रामनरेश यादव निवासी रहमत अली का पुरवा बजहाभीट थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

**बरामदगी-**

01 अदद तमंचादेशी 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर व 04 अदद देशी बम बरामद।

**पुलिस टीम का विवरण-**

उ०नि० मिथलेश कुमर मय हमराह उ०नि० शिशिर पटेल, उ०नि० मिथलेश कुमर मय हमराह उ०नि० रामलाल राम, चालक हे०का० रामजन्म, का० सुमित कुमर, का० तेजप्रकाश, का० तेजप्रकाश, का० नीरज यादव व होगा० रामचन्द्र थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

**प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026**

**थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।**

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना जेठवारा के उ०नि० राजेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मु०अ०सं० 356/23 धारा 3 (1) (R)/3(1)(5)/3 (2) (VA) बीएनएस थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त आलोक नाथ दुबे पुत्र बदी विशाल दुबे निवासी सराय इन्द्रावत थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. आलोक नाथ दुबे पुत्र बदी विशाल दुबे निवासी सराय इन्द्रावत थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० राजेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026**

**थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।**

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना हथिगवां के उ०नि० दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह हे०का० कृष्णदेव द्वारा एसटी नं० 70/2003 अ०सं० 20/99 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम रामसुमेर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त रामसुमेर यादव पुत्र स्व० दयाराम यादव निवासी शुकुलपुर धीमी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामसुमेर यादव पुत्र स्व० दयाराम यादव निवासी शुकुलपुर धीमी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० दिलीप कुमार वर्मा मय हमराह हे०का० कृष्णदेव थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक 23.04.2026**

**थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़**

थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा हत्यारोपी पिता गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल (कुल्हाड़ी व डंडा) बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त रामलाल को गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम ताला, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 21.04.2026 को उसके ससुर रामलाल शराब के नशे में उसकी पत्नी को अपने साथ ग्राम गौरा अतरसंड, थाना कोहंडौर ले गए। दिनांक 22.04.2026 को सूचना दी गई कि वादी की पत्नी की मृत्यु हो गई है। मौके पर पहुंचने पर वादी ने देखा कि मृतका के शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे, जिससे उसकी हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोहंडौर में मु०अ०सं० 74/2026 धारा 103(1),3(5) बीएनएस बनाम 01 नामजद व कुछ लोग नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह उ०नि० प्रतीक सिंह, का० पुष्पेन्द्र यादव व का हैप्पी बाबू मय चालक हे०का० राधेकृष्ण द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 74/2026 धारा 103 (1)/3(5) बीएनएस थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रामलाल पुत्र

रामदीन निवासी ग्राम गौरा अतरसंड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को 02 अदद डण्डा एवं 01 अदद कुल्हाड़ी के साथ उसके.के पास से गिरफ्तार किया गया है।

#### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 21.04.2026 को मैं शराब के नशे में अपनी लड़की को उसके ससुराल ग्राम ताला थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ से जिद करके अपने साथ ई-रिक्सा से अपने घर गौरा अतरसण्ड ले आये फिर मैं कोनी थाना कन्धई क्षेत्र अन्तर्गत बाजार में जाकर गेंहू बेचा तथा गेंहू बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे का देशी शराब की दुकान पर जाकर दो पैकेट शराब लिया। रास्ते में नहर के पास बैठकर शराब पीया तथा एक पैकेट घर लेकर आया पुनः बची हुई एक पैकेट शराब फिर पीया। मैं अपनी लड़की से पूछा कि खाना बनाई हो तो बताई कि तुम घूम कर शराब पी रहे तो मैं क्यू खाना बनाउंगी। मैं नशे में था इसी बात को लेकर लड़की से विवाद होने लगा तो मैं घर में रखा जंगली बबूल के डण्डे से मारा तो एक डण्डा टूट गया तब मैंने दूसरा डण्डा उठाया और उससे कई बार शरीर के अंग पर कहा कहा मारा मुझे खुद ही जानकारी नहीं है। जब मेरी लड़की घर से भागने लगी तो करीब 15 कदम पर जाकर बेहोश होकर गिर गयी। तब मैंने लोहे की कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से में उसके सिर में 2-3 बार मार दिया। तब उसके सिर से खून आने लगा। तब मैं उसकी साड़ी को खोलकर सिर में लगे खून को पोछने लगा तथा सुबह होते ही मैं साड़ी को घर से थोड़ी दूर पर कच्ची दीवार के खण्डर में छिपाया था। रात भर मेरी लड़की 15 कदम की दूरी पर पड़ी रही और मैं नशे की हालत में सो रहा था। मैं यह नहीं जान पाया कि मेरी लड़की मर गयी है। सुबह होते ही करीब 08.30 बजे जब मैं अपनी लड़की के पास गया तो देखा कि मेरी लड़की मर गयी है। तब मैंने राहगीरो की मदद से अपनी लड़की को उठाकर अपने घर की चारपाई लेटा दिया। कुछ घण्टे तक मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं क्या कर। उसके बाद मैंने एक राहगीर से अपने लड़की के ससुराल फोन से सूचना दिया कि सोनम मर गयी है। आप लोग आ जाइये। कुछ घण्टे बाद मेरी लड़की के ससुराल के लोग आ गये। अभियुक्त की निशानदेही पर डण्डे व कुल्हाड़ी बरामद की गई।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रामलाल पुत्र रामदीन निवासी ग्राम गौरा अतरसंड थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष।

#### पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी कोहंडौर श्री धनन्जय राय मय हमराह उ0नि0 प्रतीक सिंह, का0 पुष्पेन्द्र यादव व का हैप्पी बाबू मय चालक हे0का0 राधेकृष्ण थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

